कार्यालय उप निदेशक कृषि (वि0) जि0प0 सीकर

क्रमांकः–लेखा / 2017–18 /

दिनांकः– 13.12.2017

सीमित बोली सूचना
(बोली सं0 2 / 2017–18)

इस कार्यालय के द्वारा कृषि विभागिय योजनाओं के अन्तर्गत आयोजित किये जाने वाले विस्तार कार्मिको / कृषक प्रशिक्षणों / मेलों में प्रतिभागियों को भोजन,नाश्ता व चाय, आपूर्ति बाबत् रूपये दो लाख से कम की सीमित बोली वर्ष 2017–18 मे **जब आवश्यकता हो के आधार पर** सप्लाई करने हेतु अधिकृत इच्छुक विनिर्माता फर्मो / प्राधिकृत डीलरो एवं आपूतिकर्ता फर्मो से सीलबंद लिफाफे में सीमित बोली आमंत्रित की जाती हैं।बोली दिनांक 28.12.2017 को दोपहर 3.00 बजे तक प्राप्त की जाकर, उसी दिन अपरान्ह 3.00 बजे बाद गठित उपापन कमेटी द्वारा उपस्थित बोलीदाताओं के समक्ष खोली जावेगी।उक्त बोली को http://SPPP.Raj.gov.in पोर्टल व कृषि विभागीय वेबसाइट http://krishi.raj.gov.in पर भी देखा जा सकता है।

\

उप निदेशक कृषि (विस्तार)
जि0प0 सीकर
Phone-01572274912
Email ID –ddagr_sik@rediffmail.com

क्रमांकः– लेखा / 2017–18 / 4040–42

दिनांकः–13.12.2017

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ :–

1. श्रीमान् सहायक कम्प्यूटर प्रोग्रामर,कृषि आयुक्तालय, राजस्थान जयपुर को भेजकर लेख है कि विभागिय वेबसाईट पर उक्त बोली अपलोड करावें।
2. नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा / Sppp.Raj.gov.in पर अपलोड हेतु।
3. मैसस / श्री...को सूचनार्थ।

उप निदेशक कृषि (विस्तार)
जि0प0 सीकर

कार्यालय उप निदेशक कृषि(विस्तार) सीकर
सीमित बोली प्रारूप

1	कार्यालय का नाम	उपनिदेशक कृषि (विस्तार) सीकर
2	बोली सूचना सं0	02/2017–18 क्रमांक..................दिनांक 13.12.2017
3	बोली प्राधिकारी	उपनिदेशक कृषि (विस्तार) सीकर
4	बोली प्राप्त करने की दिनांक व समय	28.12.2017 सायं 3.00 बजे तक
5	बोली खोलने की दिनांक व समय	28.12.2017 सायं 4.00 बजे तक
6	बोलीदाता का विवरण	बोली दाता/प्राधिकृत व्यक्ति व फर्म का नाम पता .... दूरभाष नं0......................... मो0...............................
9	कार्य का विवरण	आवश्यकता होने पर विस्तार कार्मिकों/कृषक प्रशिक्षणों/मेलो में प्रतिभागियों को भोजन,नाश्ता व चाय की आपूर्ति
10	अनुबंध अवधि	31.03.2018
11	प्रस्तावित दर	संलग्न सूची के अनुसार

मैने/हमने उपनिदेशक कृषि (विस्तार) सीकर द्वारा गठित उपापन समिति द्वारा जारी की गई सीमित बोली की समस्त शर्तो को अच्छी तरह से समझ ली है, तथा मुझे/हमें बोली की समस्त शर्ते मंजूर है व उनके सभी पृष्ठों पर उल्लेखित शर्तो का मेरे/ हमारें द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रमाण मे मैने/हमनें हस्ताक्षर कर दियें है। मै./हम ....घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैने/हमने जिस कार्य के लिए बोली दी है, उसका मैं बोनाफाइड स्वामी/पंजिकृत फर्म का मालिक हूं।यदि यह घोषणा असत्य पायी जावे तो किसी भी अन्य कार्यवाही जो की जा सकती है पर प्रभाव डाले बिना मेरी/हमारी प्रतिभूति/धरोहर राशि को पूर्ण रूप से जब्त कर लिया जावेगा तथा बोली को जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद कर दिया जावेगा।

बोलीदाता के हस्ताक्षर

कार्यालय उप निदेशक कृषि (विस्तार)सीकर

विस्तार कार्मिको/कृषक प्रशिक्षणें/मेलों में प्रतिभागियों को भोजन,नाश्ता व चाय, आपूर्ति हेतु सीमित बोली सं0 02/2017–18 की शर्ते :–

नोट :– बोलीदाता को बोली फार्म भरने से पूर्व निम्न शर्तो को ध्यान पूर्वक पढ़ने के पश्चात ही बोली शर्तो के प्रत्येक पृष्ठ पर अपने हस्ताक्षर करने चाहिए तथा बोली के साथ संलग्न करें।

1 . इच्छुक बोलीदाताओं को बोली सूचना में दिये गये निर्देशों के अनुसार अपनी दरें उचित रूप से मोहरबन्द लिफाफे में जिस पर **भोजन एवं चाय–नाश्ता आपूर्ति** लिखकर प्रस्तुत की जावें। खुली बोली पाये जाने पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

2. बोली फार्म पेन/बॉल पेन से अथवा टंकण से भरा ही प्रस्तुत किया जावें।पेन्सिल से भरा हुआ बोली फार्म स्वीकृत नहीं किया जावेगा। बोली के प्रत्येक पेज पर शर्तो एवं समझोतो पर सहमति स्वरूप बोलीदाता के हस्ताक्षर आवश्यक हैं।

3. बोलीदाता को अपनी दरें शब्दों एवं अंको में साफ–साफ लिखा जाना चाहिएं। इनमें कोई त्रुटियां/अपरिलेखन नहीं होना चाहिए/अशुद्धियां होने पर लघु हस्ताक्षर आवश्यक हैं।

4. बोली निर्धारित प्रपत्र में ही स्वीकार की जावेगी ।

5. बोली भोजन व्यवस्था के अधिकृत एवं अनुभवी फर्मो व व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत की जावें।

6. बोलीदाता का वाणिज्य कर विभाग में पंजियन होना आवश्यक है तथा पंजियन प्रमाण पत्र व पैनकार्ड की छाया प्रति संलग्न करनी होगी।

7. प्रतिभागियों को उपलब्ध कराये जाने वाले खाने(बिना पैकेट) एवं नाश्ते का मीनू निम्न प्रकार होगाः–

I–नाश्ता–कचौरी/समोसा/ब्रेड पकौड़ा(125ग्राम),एक पीस मिठाइ(50ग्राम) अथवा जलेबी 100ग्राम एवं चाय(150 मि0ली0)।

II– खाना–देशी घी से चुपडी चपाती पेटभर, सीजनल सब्जी एक, दो पीस मिठाई(100ग्राम) व दाल,चावल तथा सलाद।

8. खाने की आपूर्ती बोलीदाता द्वारा जिले के भीतर कही भी आयोजित प्रशिक्षण/मेले वाले स्थान पर तथा प्रशिक्षण प्रभारी के निर्देशानुसार समय पर आपूर्ति करनी होगी।

9. खाना शुद्ध एवं ताजा होना आवश्यक हैं।

10. खाना पकाने एवं खिलाने हेतु समस्त प्रकार के बर्तन एवं सामग्री तथा खाना खिलाने की व्यवस्था बोलीदाता को स्वयं को अपने स्तर पर करनी होगी।

11. बोलीदाता से कुल भुगतान योग्य राशि मे से नियमानुसार आयकर व अन्य आवश्यक करों की कटौती की जावेगी।

12. दरें वर्ष 31.03.2018 तक मान्य होगी तथा इस अवधि को आपसी सहमति से बढाया जा सकेगा।

13. **बोली में बोलीदाता की तरफ से लगाई गई शर्ते मान्य नहीं होंगी।**

14 बोलीदाता को किसी प्रकार का अग्रीम भुगतान देय नहीं होगां।

15. किसी भी बोली को बिना बताए अस्वीकार/निरस्त व बोली शर्तों मे संशोधन करने का अधिकार उपापन समिति के पास सुरक्षित होगा।

16. कार्यालय द्वारा कोई गाड़ी (कॉर्टेज) या परिवहन भुगतान नहीं किया जावेगा तथा बोलीदाता को अपने स्वयं के खर्चे पर वांछित स्थल पर खाने, नाश्ते एवं चाय की आपूर्ति करनी होगी।

17. बोलीदाता के लिए यह समझा जावेगा कि उसने उपलब्ध कराये जाने वाले वर्किंग लंच, नाश्ते आदि की पूर्ण जानकारी प्राप्त कर ली हैं तथा बोलीदाता को उच्च क्वालिटी की सामग्री भोजन एवं नाश्ता में प्रयुक्त करनी होगी।

18. संविदाकार अपनी संविदा को या उसके किसी भाग को किसी अन्य एजेन्सी को नहीं सौपेगा या उसे भाड़े पर नहीं देगा।

19. कय समिति किसी भी बोली को जो आवश्यक रूप से न्यूनतम दर की बोली नही है ,स्वीकार करनें,बिना कारण बताये किसी भी बोली को रद्द करने तथा जिन वस्तुओं के लिए बोलीदाता ने बोली दी है उन सब के लिये या किसी एक या अधिक के लिये बोली को स्वीकार करने या एक फर्म/सप्लायर से अधिक स्तर की मदों को वितरित करने का अधिकार अपने पास आरक्षित रहेगा।

20. **विशेष विवरण** :–

- भोजन सामग्री की गुणवत्ता सही नही पाये जाने पर नियमानुसार कटौति की जावेगी।
- संविदाकार/ठेकेदार को जिस दिन जिस आईटम का उपयोग नहीं किया जायेगा उस दिन का उस आईटम का भुगतान देय नहीं होगा।
- चपाती देशी घी से चुपड़ी हुई व दाल/सब्जी शुद्ध रिफाईण्ड तेल से बनानी होगी।
- भोजन शुद्ध एवं शाकाहारी होना चाहिए।
- भोजन सब्जी आदि पकाने हेतु गेस चुल्हे का ही प्रयोग करना होगा। लकड़ी चुल्हा पूर्णतया अस्वीकार्य होगा।

- भोजन पैकेट मे उपलब्ध कराने का आदेश दिये जाने पर मीनू अनुसार पैकेट निर्धारित स्थल पर उपलब्ध कराना होगा।
- सभी प्रकार के बर्तनों, भोजन एवं खाना खिलाने के स्थल की साफ सफाई की व्यवस्था बोलीदाता को करवानी होगीं।
- सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ उच्च गुणवत्ता के तथा स्वच्छ होने चाहिऐं।
- अनुबंध की शर्तो की पालना नही किए जाने पर संविदाकर्ता को काली सूची मे डाला जा सकेगा तथा वर्किंग लंच एवं नाश्ते हेतु दुसरे ठेकेदार से व्यवस्था करवाई जा सकेगी तथा बोली में स्वीकृत दर से अधिक भुगतान व अन्य खर्चे/क्षतिपूर्ति मूल संविदाकर्ता से वसूली योग्य होगी।
- निर्धारित समय पर संविदाकार खाने, नाश्ते आदि की व्यवस्था में विफल रहता है तो संविदाकार/ठेकेदार की जोखिम एवं लागत (Risk Cost) पर व्यवस्था स्थानीय बाजार से कर ली जावेगी तथा अन्तर राशि संविदाकार/ठेकेदार से वसूली योग्य होंगी।
- यदि वर्किंग लंच नही दी जाती है तो बोलीदाता को सुनवाई का एक युक्ति युक्त अवसर देने के बाद क्रेता अधिकारी किसी भी समय निरस्त (Repudiate) कर सकता हैं। वह इस प्रकार निरस्त करने के कारणों को अभिलिखित करेगा।
- खाद्य पदार्थो मे किसी प्रकार का अपमिश्रण पाये जाने पर अथवा खराब होने से किसी के स्वास्थय पर प्रतिकूल प्रभाव पडनें की स्थिति मे अनुमोदित बोलीदाता के विरूद नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जा सकती है।

21. विवाद की स्थिति में सीकर स्थित न्यायालय मान्य होगा।
22. निर्धारित समय पर निर्दिष्ट स्थान पर सामग्री की आपूर्ति नहीं करने पर नियमानुसार शास्ति आरोपित की जावेगी।
23. उपरोक्त के अलावा अन्य शतें राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 व नियम 2013 तथा सामान्य वितिय एवं लेखा नियम के अनुसार मान्य होगी।

क्रम संख्या 1 से 23 तक शर्ते मुझे/हमें स्वीकार हैं जिसके सहमति स्वरूप बोली प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिये है।

बोलीदाता के हस्ताक्षर

विस्तार कार्मिको / कृषक प्रशिक्षणें / मेलों में प्रतिभागियों को भोजन,नाश्ता व चाय, आपूर्ति हेतु प्रस्तावित दरें :-

क्र.स.	सामग्री का नाम	दर प्रति पैकेट
1.	भोजन (8पूड़ी,एक सुखी सब्जी 150 ग्राम प्लास्टिक कटोरी में पैक,आचार पीस एक,मिठाई पीस दो (100ग्राम) मय भोजन पैकेट मे पैक)	....
2.	नाश्ता प्रति प्लेट मय चाय	....
3.	चाय प्रति नग(150 मि.ली.)	....

भोजन प्रति डाईट हेतु प्रस्तावित दरें :-

क.सं.	कार्य विवरण	प्रस्तावित दरें प्रति डाईट
1.	खाना -देशी घी से चुपड़ी चपाती पेटभर, सीजनल सब्जी एक व दाल,चावल,सलाद व मिठाई पीस दो (100ग्राम)	....

दिनांक :........................

बोलीदाता के हस्ताक्षर

....

मालिक / प्रतिनिधि का नाम ....

पता ....

फोन / मो0 नं. ....